न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 147/2020 **दायर तारीख : 28-12-2020**

1. रामचन्द्र मीणा पुत्र रणजीत मीणा जाति मीणा निवासी लुहाकनां कला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— **अप्रार्थी /वादी**

बनाम

1. राजेश्वर सिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
2. विजेता सिंह पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत

} समस्त निवासी 134 लक्ष्मण कॉलोनी वार्ड नंबर 11 जयपुर

3. नाथूराम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति आचार्य
4. प्रेम देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति आचार्य

} समस्त दौल्यापुर पटवार हल्का भाबरू तह0 विराटनगर, जयपुर

5. जगदीश प्रसाद
6. मूलचंद
7. विशना

} पुत्रान देवाराम जाति अहीर निवासी दौल्यापुर पटवार हल्का भाबरू-तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

8. अब्दुल रज्जाक
9. अब्दुल सत्तार
10. इकरामुद्दीन
11. याकूब खां
12. रमजान

} पुत्रान रखूल खां निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

13. फातमा बानो पुत्री रसूल खां
14. सहीदन बानो पत्नि रसूल खां

} निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

15. अशोक कुमार
16. धर्मेन्द्र कुमार
17. मोहनलाल

} पुत्रान भागीरथ जाति जोगी निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

18. बिरादी देवी पत्नि भागीरथनाथ जाति जोगी निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
19. विमला
20. सन्तोष देवी

} पुत्रियान भागीरथ जाति जोगी निवासी दौलयापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

21. ओमनेचरल रिसोर्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक जितेन्द्रकुमार धाबाई जयपुर निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
22. भगवती देवी पुत्री रामप्रताप जाति जोगी निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
23. मूली पत्नि स्व0 लल्लू जाति जोगी निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
24. उधमी
25. उम्मेद
26. श्यामलाल

} पुत्रान लल्लूनाथ जाति जोगी निवासी रामनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

27. शान्ती पुत्री लल्लूनाथ जाति जोगी निवासी रामनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
28. मातादीन पुत्र सूरजानाथ जाति जोगी निवासी रामनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
29. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय तहसील परिसन विराटनगर जिला जयपुर राज0।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

— प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, हक,
दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक :—04.03.2021

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की बिन्दु संख्या 7 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काश्तकार व खातेदार दर्ज है। तथा वाद पत्र की बिन्दु संख्या 8 में वादी ने दिनांक 03.07.2009 के इकरारनामा के बारे में जो कथन किया है एवं इकरारनामा की प्रति पेश की है उसकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को न तो जानकारी है न ही इससे प्रतिवादी 1 व 2 के खिलाफ वादी को कोई अधिकार सृजित होते है। इस इकरारनामा का प्रतिवादीगण से कोई भी संबंध नहीं है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने खातेदारी अधिकार विरासत से मिले है एवं आज प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। यह है कि दिनांक 03.07.2009 के इकरारनामा के आधार पर उक्त न्यायालय कोई भी अनुतोष प्रदान करने का वादी को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता है। इकरारनामा के पालन के लिए सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं उक्त वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

3. अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि यह सही है कि प्रतिवादीगण ने खातेदारी अपनी विरासतन प्राप्त की है, लेकिन प्रतिवादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीगण की माता ने भूमि का बेचान वादी को पहले ही करके कब्जा करवा दिया था तथा भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा भूमि पर बेचान के बाद से ही नहीं रहा है, ऐसे प्रतिवादीगण का भूमि से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, बल्कि वादी को कब्जा मुखालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। यह है कि प्रतिवादीगण के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की सम्पूर्ण जवाबदेही करके ही अपने कथनों के अंकित करना चाहिए, केवल प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इकरारनामा की जानकारी होना व नहीं होने से कथन के साबित नहीं माना जा सकता है। संबंधित कथन साक्ष्य का विषय है, जिसे वादी द्वारा साक्ष्य में साबित किया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र ख्यारिज किए जाने योग्य हैं। यह है कि प्रतिवादीगण ने गलत रूप से अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाई है, जबकि वादी प्रतिवादीगण की माता के जीवित रहते ही भूमि पर वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करता चल आ रहा है। इसी प्रकार से वादी के परमेसिव पजेशन व एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी का ही प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई का न्यायालय श्रीमान को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। यह है कि वादी ने भूमि भले ही इकरारनामा से खरीद की है, लेकिन खातेदारी अधिकारों के लिए राजस्व न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय में अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है तथा वादी अपने कब्जे व अधिकार की घोषणा अनुतोष न्यायालय श्रीमान से प्रापत कर सकता है। इकरारनामा की पालना के लिए वादी ने अलग से वाद पत्र प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह है कि प्रार्थना पत्र विधि के सिद्वान्तों के विपरीत प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य हैं। यह है कि वादी ने अपना वाद पत्र घोषणा खातेदारी, हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो कतई विधि विरूद्व नहीं हैं। वरन वर्णित अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ऐसे में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि प्रकरण में अभी प्रतिवादीगण ने अपनी जवाब देही प्रस्तुत नहीं की है, जबकि प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत किए जाकर उनकी जवाबदेही के आधार पर तकनीयात कायत किए जाकर वाद का सम्पूर्ण निस्तारण विधि सम्मत व आवश्यक है, ऐसे में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

4. अप्रार्थीगण की तरफ से अपने समर्थन में साक्ष्य दस्तावेजी के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 184 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 185 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 214 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 215 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 216 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 240 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 323 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता संख्या 283 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता संख्या 284 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता संख्या 286 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता संख्या 309 संवत् 2076–2079, नकल जमाबंदी ग्राम लालाकावाली खाता संख्या 38 संवत् 2076–2079, नकल नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता 283, 284, 286, 309, नकल नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 184, 185, 214, 215, नकल नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 216, 240, 323, नकल नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम लालकावाली खाता संख्या 38, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खसरा नंबर 2653 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खसरा नंबर 2773 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खसरा नंबर 3115/1 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खसरा नंबर 2649/4417 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खसरा नंबर 2569 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम दौल्यापुर खसरा नंबर 2604, 2786 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता संख्या 307 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खसरा नंबर 1722/4349 संवत् 2072–2075, नकल जमाबंदी ग्राम भाबरू खाता संख्या 305 संवत् 2072–2075, नकल विक्रय पत्र आदि पेश किए है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। प्रकरण में वादी/अप्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत सभी जमाबंदी साक्ष्य दस्तावेजों में विवादित खसरा नंबर की खातेदारी प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज खातेदारी प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपनी विरासत के आधार पर दर्ज खातेदारी हुई है। अप्रार्थी/वादी की तरफ से प्रस्तुत दावा विक्रय इकरारनामा को आधार मानकर पेश किए गया है, विक्रय इकरारनामा पालना का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है/ जिससे की वादी/अप्रार्थी विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

इकरारनामा के आधर पर राजस्व न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ द्वारा किए गए निर्णय में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान राजस्थान कातश्कारी अधिनियम में नहीं होने का सिद्वांत भी लागू होता है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की परिधि में आता है। एवं विधि द्वारा वर्जित होने से कतई चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. रामचन्द्र मीणा पुत्र रणजीत मीणा जाति मीणा निवासी लुहाकनां कला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी /वादी

बनाम

1. राजेश्वर सिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
2. विजेता सिंह पुत्री उदयसिंह जाति राजपूत
   } समस्त निवासी 134 लक्ष्मण कॉलोनी वार्ड नंबर 11 जयपुर
3. नाथूराम पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति आचार्य
4. प्रेम देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति आचार्य
   } समस्त दौल्यापुर पटवार हल्का भाबरू तह0 विराटनगर, जयपुर
5. जगदीश प्रसाद
6. मूलचंद
7. विशना
   } पुत्रान देवाराम जाति अहीर निवासी दौल्यापुर पटवार हल्का भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
8. अब्दुल रज्जाक
9. अब्दुल सत्तार
10. इकरामुद्दीन
11. याकूब खां
12. रमजान
    } पुत्रान रखूल खां निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
13. फातमा बानो पुत्री रसूल खां
14. सहीदन बानो पत्नि रसूल खां
    } निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
15. अशोक कुमार
16. धर्मेन्द्र कुमार
17. मोहनलाल
    } पुत्रान भागीरथ जाति जोगी निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
18. बिरादी देवी पत्नि भागीरथनाथ जाति जोगी निवासी दौल्यापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
19. विमला
20. सन्तोष देवी
    } पुत्रियान भागीरथ जाति जोगी निवासी दौलयापुर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
21. ओमूनेचरल रिसोर्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक जितेन्द्रकुमार धाबाई जयपुर निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
22. भगवती देवी पुत्री रामप्रताप जाति जोगी निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
23. मूली पत्नि स्व0 लल्लू जाति जोगी निवासी भाबरू तहसील विराटनगर
24. उधमी
25. उम्मेद
26. श्यामलाल
    } पुत्रान लल्लूनाथ जाति जोगी निवासी रामनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

27. शान्ती पुत्री लल्लूनाथ जाति जोगी निवासी रामनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
28. मातादीन पुत्र सूरजानाथ जाति जोगी निवासी रामनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
29. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय तहसील परिसन विराटनगर जिला जयपुर राज0।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर

— **प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण**

मुकंदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 147/2020 **दावा बाबत घोषणा खातेदारी, हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा, एडवोकेट वादी** व हाजरी ....मिन जानिव मुददई रूवरू **श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1** कार्यवाही मिन जानिव मुदामलह पेश हुए।

सुना गया। अप्रार्थी/वादी की तरफ से प्रस्तुत दावा विक्रय इकरारनामा को आधार मानकर पेश किए गया है, विक्रय इकरारनामा पालना का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है, जिससे की वादी/अप्रार्थी विक्रय इकरारनामा के आधर पर राजस्व न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ द्वारा किए गए निर्णय में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान राजस्थान कातश्कारी अधिनियम में नहीं होने का सिद्वांत भी लागू होता है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की परिधि में आता है। एवं विधि द्वारा वर्जित होने से कतई चलने योग्य नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.....................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.03.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर